न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः– 0003/अ–19(3)/2017–18/12113 बैतूल दिनांक 8/11/2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, माननीय एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के पत्र क्रमांक– 1528/तीन–5–1/2013 दिनांक 25–6–2016 द्वारा, जिला मुख्यालय पर न्यायिक अधिकारियो के उपयोग हेतु सेशन हाऊस का निर्माण किए जाने के लिए, जिला मुख्यालय पर स्थित सर्किट हाऊस के अहाते में रिक्त भूमि में से भूमि आवंटित करने हेतु लेख किया गया है ।

2– सर्किट हाऊस की भूमि मध्यप्रदेश शासन लोककर्म विभाग के नाम पर दर्ज होने से इस भूमि में से भूमि आवंटित करने में वैद्यानिक कठिनाई होने के कारण, आवेदित प्रयोजन हेतु जिला मुख्यालय पर ही अन्य स्थान पर उपयुक्त भूमि का चयन करके आवंटन का प्रस्ताव करने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार बैतूल द्वारा उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

(1)– मौजा हमलापुर स्थित खसरा नंबर 6/1 रकबा 4.865 हेक्टेयर मे से 0.242 हेक्टेयर भूमि का चयन आवेदित प्रयोजन किया गया एवं उक्त चयनित भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।

(2)– राजस्व अभिलेख खसरा वर्ष 2016–17 के अनुसार मौजा हमलापुर स्थित खसरा नंबर 6/1 रकबा 4.865 हेक्टेयर भूमि आबादी मद में दर्ज है।

(3)– मौजा हमलापुर स्थित मूल खसरा नंबर 06 में से 0.046 हेक्टेयर भूमि जनसम्पर्क विभाग को, 0.046 हेक्टेयर भूमि जिला योजना अधिकारी बैतूल को, 0.040 हेक्टयर भूमि नियंत्रक नाप तौला (विधिक माप विज्ञान) बैतूल को, तथा 0.203 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग (जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल) को आवंटित की गई है।

(4)– मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बैतूल के पत्र क्रमांक–राजस्व/2017/5672 दिनांक 25–10–2017 द्वारा मौजा हमलापुर स्थित खसरा नंबर 6/1 के कुल रकबा में से 0.242 हेक्टेयर भूमि जो पुराना स्टाफ एवं जर्जस आवास है को डिस्मेंटल करते हुए सेशन हाऊस निर्माण किये जाने के लिए आवंटित किए जाने हेतु अनापत्ति व्यक्त की गई है।

(6)– तहसीलदार बैतूल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, उपरोक्त भूमि आबादी मद की भूमि है, जिसकी व्यवस्था लोककर्म विभाग के अधीन की जाती है। प्रस्तावित भूमि पर वर्तमान में 13500 वर्गफुट तथा 11000 वर्गफुट भूमि पर सिविल न्यायालय का आधिपत्य होकर स्टाफ क्वाटर्स बने है, जो जर्जर स्थित में है मात्र 1500 वर्गफुट भूमि रिक्त हैं । तहसीलदार बैतूल द्वारा प्रकरण में संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित ए बी एवं सी के अनुसार 0.242 हेक्टेयर भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित करने की अनुशंसा की गई है। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल द्वारा, तहसीलदार बैतूल के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए, मौजा हमलापुर तहसील बैतूल की शासकीय आबादी मद की भूमि खसरा नंबर 6/1 में से 0.242 हेक्टेयर (26000 वर्गफुट) भूमि न्यायिक अधिकारियो के सेशन हाऊस निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन विधि एवं

विधायी कार्य विभाग (जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल) को आंवटित करने की अनुशंसा की गई है।

3— कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक—1/2011/अधी./10842, दिनांक 8—11—2016 द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड— चार —एक के अन्तर्गत शासकीय भूमि अंतरण संबंधी समस्त प्रकरणो के निराकरण हेतु अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4— अतएव प्रकरण उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति तथा तहसीलदार बैतूल व अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के अभिमत एवं अनुशंसा के आधार पर, मौजा हमलापुर तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 6/1 रकबा 4.865 हेक्टेयर में से, 0.242 हेक्टेयर भूमि जिसे प्रकरण में संलग्न नजरी नक्शा (प्रदर्श—अ) में ए, बी एवं सी में दर्शाया गया है, मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्यविभाग (जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल) को न्यायिक अधिकारियो के उपयोग हेतु सेशन हाऊस निर्माण के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन हस्तांतरित की जाती है।

(1)— हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(2)— भूमि पर प्रस्तावित कार्य 6 माह के भीतर प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3)— शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन के संबंध में, कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4)— शर्तो का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

पृ0क्र0:— 0003/अ—19(3)/2017—18/12113 बैतूल दिनांक 8/11/2017

प्रतिलिपि:—

1— जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल की ओर उनके पत्र क्रमांक:— 1528/तीन—5—1/2013 दिनांक 25—6—2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2— अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल ।

3— तहसीलदार बैतूल।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

4— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

5— जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.